बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(चकबंदी निदेशालय)
<u>अधिसूचना</u>

संख्या– 12/चक0–विविध–09–03/15............................/चक0, पटना दिनांक............../

माननीय उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के आलोक में वर्तमान में बिहार जोतो के समेकन एवं खंडकरण निवारण अधिनियम 1956 की धारा 3(1) के अन्तर्गत पूर्व से अधिसूचित कुल 180 पुराने अंचलों में चकबंदी योजना लागू किया गया। वर्तमान में कर्मियों/पदाधिकारियों की उपलब्धता के अनुसार पुराने शाहाबाद जिले के 38 अंचलों एवं गोपालगंज जिले के एक कटैया अंचल में सक्रिय रूप से चकबंदी योजना संचालित किया जा रहा है। शेष 141 अंचलों, जो मूलतः उत्तर बिहार एवं पूर्वी बिहार में अवस्थित हैं, में कर्मियों/पदाधिकारियों की कमी के कारण सक्रिय रूप से चकबंदी योजना संचालित नहीं की जा रही है। ऐसी स्थिति में उक्त असक्रिय अंचलों में जहाँ चकबंदी कार्यों का संचालन नहीं किया जा रहा है, वहाँ कई तरह के तकनीकी एवं कानूनी विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, जिससे संबंधित क्षेत्र की जनता को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। साथ हीं वर्तमान में उन क्षेत्रों में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 अधिसूचित हो चुका है एवं सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ हो चुका है।

ऐसी स्थिति में विधि विभाग से प्राप्त परामर्शानुसार शेष असक्रिय 141 अंचलों में से जिन अंचलों के राजस्व ग्रामों में चकबंदी योजना के अन्तर्गत चकबंदी की सभी संक्रियाएँ पूर्ण कर धारा 26(क) के अन्तर्गत अनाधिसूचित कर दी गई है, वहाँ प्रावधानानुसार चकबंदी की कोई भूमिका नहीं रह गई है। इसके अलावे जिन असक्रिय अंचलों में चकबंदी योजना की सभी संक्रियाएँ समाप्त नहीं की जा चुकी है, वैसे जिलों/अंचलों में जनता के हितों को देखते हुए बिहार जोतों के समेकन एवं खण्डकरण निवारण अधिनियम 1956 की धारा 3(1) से आच्छादित निम्नलिखित जिलों/अंचलों को चकबंदी अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधिनियम की धारा 4(क) के प्रावधान के अधीन चकबंदी योजना के प्रचालन को अधिसूचना निर्गत की तिथि से रद्द करते हैं।

क्र0	जिला का नाम	**अधिनियम की धारा 3(1) के अन्तर्गत सूची में अंकित अंचलों के नाम धारा 4(क) के तहत रद्द करने हेतु अधिसूचित किया जाता है।**
1	2	3
1.	वैशाली	हाजीपुर, विदुपुर, जन्दाहा, महनार, महुआ, गोरौल, लालगंज, वैशाली, पातेपुर, देसरी
2.	मुजफ्फरपुर	पारू, सरैया, साहेबगंज, बरूराज, मोतीपुर, औराई, मुसहरी, बोचहा, मीनापुर, कुढ़नी, काँटी, कटरा, गायघाट
3.	समस्तीपुर	जितवारपुर, उजियारपुर, ताजपुर, सरायरंजन, पूसा, कल्याणपुर, विभूतिपूर
4.	सीतामढ़ी	रूनीसैदपुर, बेलसण्ड, शिवहर, पिपराही, रीगा, मेजरगंज, बथनाहा, सोनवर्षा, परिहार, सुरसण्ड, पुपरी, वाजपट्टी, नानपुर, डुमरा
5.	अररिया	अररिया, फारबिसगंज, रानीगंज, कुर्साकाँटा, नरपतगंज, भरगामा
6.	पूर्णियाँ	कृत्यानगर, पूर्णिया पूर्व, वायसी, कुर्साकाँटा, सिकटी, कसवा, वैसी, अमौर, पलासी

क्र0	जिला का नाम	अधिनियम की धारा 3(1) के अर्न्तगत सूची में अंकित अंचलों के नाम धारा 4(क) के तहत रद्द करने हेतु अधिसूचित किया जाता है।
7.	किशनगंज	किशनगंज, दिघलबैंक, बहादुरगंज, कोचाधामनन, टेढ़ागाछ, पोठिया, ठाकुरगंज, जोकीहाट
8.	कटिहार	कोढ़ा, फलका, वराढ़ी, बलरामपुर, कदवा, वारसोई, आजमनगर, प्राणपुर, कटिहार, अमादाबाद, मनिहारी
9.	मधेपुरा	कुमारखण्ड
10.	औरंगाबाद	ओबरा, औरंगाबाद, वारूण, रफीगंज, गोह, देव, नवीनगर, कुटुम्बा, मदनपुर, दाउदनगर, हसपुरा
11.	गया	इमामगंज, आमस, गुरूआ, परैया
12.	जहानाबाद	घोषी, करपी, कुर्था, अरवल, मखदुमपुर, काको, जहानाबाद
13.	भागलपुर	शंभूगंज, वाराहाट, बेलहर, धोरैया
14.	बाँका	बाँका, अमरपुर
15.	सुपौल	सुपौल, त्रिवेणीगंज, किशनपुर, पिपरा, बसंतपुर, राघोपुर, छातापुर
16.	सहरसा	कहरा, सिमरी, बख्तियारपुर
17.	पश्चिमी चम्पारण	नौतन, वैरिया, मंझौलिया, चनपटिया सिकटी, रामनगर, मैनाटाढ़, नरकटियागंज, लौरिया, बगहा नं0–1, बगहा नं0–2, बेतिया गौनाहा, जोगापट्टी
18.	सिवान	भगवानपुर, गोरियाकोठी, बसंतपुर, मैरवा
19.	गोपालगंज	भोरे, विजयपुर
20.	सारण	जलालपुर, गरखा, छपरा मुफ्फसिल, बनियापुर।
21.	नालंदा	हिलसा

बिहार राज्यपाल के आदेश से

19/01/18

सरकार के अवर सचिव

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–12/चक0–विविध–09–03/15..........54........../चक0, पटना दिनांक..19/01/2018../

प्रतिलिपि – अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/अवर सचिव, गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना (सी0डी0 सहित) को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने एवं इसकी 200 मुद्रित प्रतियाँ, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (चकबंदी निदेशालय), पटना को आपूर्त्ति करने हेतु प्रेषित।

19/01/18

सरकार के अवर सचिव

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–12/चक0–विविध–09–03/15..........54........../चक0, पटना दिनांक..19/01/2018../

प्रतिलिपि – प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत (मुजफ्फरपुर), भागलपुर, पूर्णियाँ, सहरसा, गया, सारण, पटना/संबंधित सभी जिला पदाधिकारी/सभी संयुक्त निदेशक, चकबंदी/सभी उप निदेशक, चकबंदी/सहायक निदेशक, चकबंदी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग